उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है। :–

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–6 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाहन करता है एवं धारा 7(2) के अनुसार :–

अ. अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करती है।

ब. लोक अदालतों का संचालन करती है।

स. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है।

द. केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत कृत्यों का पालन करती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य–सचिव जो उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज चयन वेतनमान स्तर का अधिकारी होता है और जिसकी

नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसके द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होते हैं, उनके सामान्य नियत्रंण में किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती है। संस्था के सुचारू संचालन के लिए संस्था में शासन द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3. <u>कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेशों, निर्देशिका और अभिलेख</u> :–

प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन एवं कार्य संपादन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 एवं केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्राप्त अनुदेशों, निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली–2006 के नियम–4 के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

5. <u>उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण</u> :–

राज्य प्राधिकरण नियम, विनियम तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संग्रह अभिलेख रखती है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में

विधिक योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अनुदान राशि का आय व्यय विवरण पत्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है।

6. <u>बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण</u> :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा–9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा–11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य प्राधिकरण के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों व सुलह समझौता केन्दों का गठन भी सभी जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है।

7. <u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम</u> :–

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य–सचिव, आर0के0 खुल्बे, विभागीय अपीलीय अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942–236762) एवं प्रशासनिक अधिकारी, श्री रमाकान्त चौधरी, लोक सूचना अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942–236552) पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला जज/अध्यक्ष, अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

8. <u>निर्णय लेने की प्रक्रिया</u> :–

राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

9. अधिकारियों / कर्मचारियों की डायरेक्टरीः–

मा0 मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड / मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड / मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।	
सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236762 (Office) 05942–236552 (Telefax) 06397344127 (Mobile)
विशेष कार्याधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236514 (Office) 05942–236552 (Telefax) 09411102046 (Mobile)
प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236552 (Telefax) 09412059006 (Mobile)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गणमान्य सदस्य

क्र0सं0	पदनाम
1	मा0 मुख्य न्यायमूर्ति / मुख्य संरक्षक
2	मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति / कार्यपालक अध्यक्ष
3	मा0 अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल
4	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार
5	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
7	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
8	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून
10	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल)
11	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून
12	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून
13	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
14	सचिव / निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

15	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
16	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर
17	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
18	श्री डी0 के0 शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल
19	डॉ0 अनिल प्रकाश जोशी, पदमश्री अवार्ड, विशेषज्ञ सदस्य, पर्यावरण कार्यकर्ता
20	डॉ0 संजीव चोपड़ा, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ऋषिकेश, देहरादून
21	डॉ0 जितेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर
22	कु0 लता राणा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (दिनांक 31 मार्च, 2022 तक)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री आर0 के0 खुल्बे	सदस्य–सचिव
2.	श्री सैयद गुफरान	विशेष कार्याधिकारी
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक
13.	श्री हरेश नाथ	चालक
14.	श्री हेमन्त कुमार	चालक
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
21.	श्री गोपाल दत्त जोशी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	कनिष्ठ सहायक

22.	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	चालक
23.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
24.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
25.	श्री ललित मोहन (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
26.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	कनिष्ठ सहायक
27.	श्री दीपक सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	अनुसेवक
28.	श्री रमेश राम (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	माली
29.	श्री ललित कुमार	पर्यावरण मित्र (नियत मजदूरी)

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है।

(दिनांक 31 मार्च, 2022 तक)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन
1.	श्री आर0के0 खुल्बे	सदस्य–सचिव	57700–70290	158605
2.	श्री सैयद गुफरान	विशेष कार्याधिकारी	39530–54010	114667
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	73880
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव	44900–142400	67204
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक	44900–142400	66624
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक	35400–112400	55024
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक	44900–142400	50000
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक	35400–112400	45557
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	39349
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	37199
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	31199
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक	29200–92300	32479
13.	श्री हरेश नाथ	चालक	35400–112400	38141
14.	श्री हेमन्त कुमार	चालक	25500–81100	40101
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर	29200–92300	38129
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक	19900–63200	29740
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक	19900–63200	38050
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक	19900–63200	37351
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	–	17878
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–	16132
21.	श्री गोपाल दत्त जोशी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	कनिष्ठ सहायक	–	16132
22.	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम	चालक	–	16132

	से संविदा पर)			
23.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	—	12762
24.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	—	12762
25.	श्री ललित मोहन (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	—	12762
26.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	कनिष्ठ सहायक	—	16132
27.	श्री दीपक सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	अनुसेवक	—	12762
28.	श्री रमेश राम (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	माली	—	12762
29.	श्री ललित कुमार	पर्यावरण मित्र	—	9013

11. बजट का प्रावधान :–

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धनराशि दो स्रोतों, राष्ट्रीय विधिक सहायक निधि जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एवं राज्य विधिक सहायक निधि जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होती है तत्पश्चात उक्त धनराशि का उपयोजन विधिक सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्रदान करने, लोक अदालतों का संचालन करने, विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि में किया जाता है एवं उक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जाता है।

12. अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की तिथि :–

विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है।

13. छूट, आज्ञप्ति तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है।

14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है।

15. **<u>इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना</u> :–**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं।

16. जनउपयोग एवं सूचना प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

17. **<u>अन्य उपयोगी जानकारी जो विहित की जावे</u> :–**

राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जनसामान्य जानकारी प्राधिकरण की वैबसाइट www.slsa.uk.gov.in, ई–मेलः slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com तथा कार्यालय के टॉल फ्री नंः **1800 180 4000** से प्राप्त की जा सकती है।

Sd/-
सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल

दिनांक : 31 मार्च, 2022

BUDGET SANCTIONED BY THE STATE GOVERNMENT FOR FINANCIAL YEAR - 2022-2023

FOR- UTTARAKHAND SLSA, NAINITAL

FOR- DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES

FOR- HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

FOR- LOK ADALAT

&

FOR THE SCHEME UTTARAKHAND COMPENSATION SCHEME FOR WOMEN VICTIMS/SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT/ OTHER CRIMES-2020

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Law(S029)

HOD-Member Secretary State Legal Service Authority(4006)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -004

आवंटन आई डी-S22060040010

आवंटन पत्र दिनांक-29-JUN-2022

लेखा शीर्षक

2014-न्याय प्रशासन

800-अन्य व्यय

00-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

00--

05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	10000000	20000000	0	30000000
02-मजदूरी	167000	333000	0	500000
03-महंगाई भत्ता	3333000	6667000	0	10000000
04-यात्रा व्यय	833000	1667000	0	2500000
06-अन्य भत्ते	1333000	2667000	0	4000000
07-मानदेय	17000	33000	0	50000
08-पारिश्रमिक	1500000	3000000	0	4500000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	167000	333000	0	500000
10-प्रशिक्षण व्यय	100000	200000	0	300000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	233000	467000	0	700000
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	167000	333000	0	500000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	147000	293000	0	440000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	167000	333000	0	500000
22-कार्यालय व्यय	183000	367000	0	550000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	167000	333000	0	500000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	167000	333000	0	500000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	500000	1000000	0	1500000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	217000	433000	0	650000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33000	67000	0	100000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	367000	733000	0	1100000
30-आतिथ्य व्यय	33000	67000	0	100000
42-अन्य विभागीय व्यय	167000	333000	0	500000
51-अनुरक्षण	183000	367000	0	550000
52-लघु निर्माण	73000	147000	0	220000
योग	20254000	40506000	0	60760000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.4,05,06,000 (Rupees Four Crores Five Lacs Six Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Law(S029)

HOD-Member Secretary State Legal Service Authority(4006)

आवंटन आई डी-S22060040011

आवंटन पत्र दिनांक-29-JUN-2022

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -004

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन 800-अन्य व्यय 00-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (0-5 से स्थानान्तरित)	00-- 06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	6	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	11667000	23333000	0	35000000
02-मजदूरी	200000	400000	0	600000
03-महंगाई भत्ता	6667000	13333000	0	20000000
04-यात्रा व्यय	333000	667000	0	1000000
06-अन्य भत्ते	1267000	2533000	0	3800000
07-मानदेय	50000	100000	0	150000
08-पारिश्रमिक	7500000	15000000	0	22500000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	167000	333000	0	500000
10-प्रशिक्षण व्यय	67000	133000	0	200000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1667000	3333000	0	5000000
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	33000	67000	0	100000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	220000	440000	0	660000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	133000	267000	0	400000
22-कार्यालय व्यय	150000	300000	0	450000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	200000	400000	0	600000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	70000	140000	0	210000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	350000	700000	0	1050000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	100000	200000	0	300000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100000	200000	0	300000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	1833000	3667000	0	5500000
30-आतिथ्य व्यय	50000	100000	0	150000
42-अन्य विभागीय व्यय	333000	667000	0	1000000
51-अनुरक्षण	183000	367000	0	550000
52-लघु निर्माण	83000	167000	0	250000
योग	33423000	66847000	0	100270000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.6,68,47,000 (Rupees Six Crores Sixty Eight Lacs Forty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Law(S029)

HOD-Member Secretary State Legal Service Authority(4006)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -004

आवंटन आई डी-S22060040012
आवंटन पत्र दिनांक-29-JUN-2022

लेखा शीर्षक — 2014-न्याय प्रशासन; 800-अन्य व्यय; 00-लोक अदालत; 00--; 10-लोक अदालत

Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	2500000	5000000	0	7500000
02-मजदूरी	167000	333000	0	500000
03-महंगाई भत्ता	5000000	10000000	0	15000000
04-यात्रा व्यय	267000	533000	0	800000
06-अन्य भत्ते	2000000	4000000	0	6000000
07-मानदेय	67000	133000	0	200000
08-पारिश्रमिक	3333000	6667000	0	10000000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	133000	267000	0	400000
10-प्रशिक्षण व्यय	33000	67000	0	100000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	233000	467000	0	700000
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	33000	67000	0	100000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	100000	200000	0	300000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	333000	667000	0	1000000
22-कार्यालय व्यय	133000	267000	0	400000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	200000	400000	0	600000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	167000	333000	0	500000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	333000	667000	0	1000000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	100000	200000	0	300000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1333000	2667000	0	4000000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	317000	633000	0	950000
30-आतिथ्य व्यय	50000	100000	0	150000
42-अन्य विभागीय व्यय	83000	167000	0	250000
51-अनुरक्षण	67000	133000	0	200000
52-लघु निर्माण	67000	133000	0	200000
योग	17049000	34101000	0	51150000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,41,01,000 (Rupees Three Crores Forty One Lacs One Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Home(S019)

HOD-Director General Police(2533)

आवंटन आई डी-S22070100001

आवंटन पत्र संख्या -27165

आवंटन पत्र दिनांक-05-JUL-2022

अनुदान संख्या -010

लेखा शीर्षक	2055-पुलिस 108-राज्य पुलिस मुख्यालय	00-- 06-उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/ उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020

Voted

00--

2	0	5	5	0	0	1	0	8	0	6	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	20000000	0	20000000
योग	0	20000000	0	20000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,00,00,000 (Rupees Two Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

BUDGET ALLOCATED BY NALSA, NEW DELHI UNDER DIFFERENT HEADS FOR F.Y.-2022-2023

FOR- UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

Financial Year 2022-2023

Head wise details of Budget Carry Forward/allocated by NALSA,New Delhi to UKSLSA,Nainital for different schemes/plans/programmes (As on 18-08-2022)

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA
1	2	3
01	MNREGS	3,765.00
02	Micro Legal Literacy Scheme	24,576.00
03	Lawyers Training	8,945.00
04	Legal Services Clinics in College	37,647.00
05	Panel Lawyers Training	812.98
06	Payment to Panel Lawyers	353.00
07	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) 1st Budget	.15
08	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) 5th Budget	.28
09	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) **2021-22**	11,734.00
10	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) **2021-22**, Implementaioon of National Plan of Action and other ongoing schemes of NALSA.	96,34,797.00
	Total Carry Forward NALSA Fund:	**97,22,630.41**
11-	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) **2022-23**, Implementaioon of National Plan of Action and other ongoing schemes of NALSA. **(New Allocation)**	50,00,000.00
12-	implementation of Legal Aid Defence Counsel Scheme (2022-23)	15,00,000.00
	New Allocation NALSA Fund:	**65,00,000.00**
	Total Carry Forward & Allocation of NALSA Fund:	**1,62,22,630.41**
1-	National Commission for Women Act, 1990 in favour of Uttarakhand State Legal Services Authority during the Financial Year 2021-22 **(Carry Forward)**	2,71,464.00
2-	National Commission for Women Act, 1990 in favour of Uttarakhand State Legal Services Authority during the current Financial Year 2022-23 **(New Allocation)**	2,68,536.00
	Total Carry Forward & Allocation of NCW Budget:	**5,40,000.00**

कार्यालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल